न्यायालयः प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:—1386 / 2015 संस्थित दिनांक:—28 / 12 / 2015 फाईलिंग नंबर—230303021582015

> शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद जिला—भिण्ड म०प्र0

> > अभियोजन

बनाम्

1. बल्लू उर्फ बालकृष्ण पुत्र पानसिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी—ग्राम बनीपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा— 25(1—ख)ख आयुध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधि० श्री बी०एस०गुर्जर)

// निर्णय //

//आज दिनांक 31/07/2017 को घोषित किया//

आरोपी पर दिनांक 26.12.15 को 12:30 बजे कैंची की पुलिया माँ रोड गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552—11—बी (1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार का धारदार लोहे का छुरा अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)बी के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.15 को पुलिस थाना गोहद के प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा को दौराने करना गश्त मुखिबर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कैंची की पुलिया पर लोहे का छुरा लिए खड़ा है। मुखिबर की सूचना की तस्दीक हेतु वह प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा के साथ कैंची की पुलिया मो रोड पहुंचा था तो वहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था उसे घेरकर पकड़ा था। साक्षी धीरसिंह एवं रहीम खां के समक्ष आरोपी की तलाशी ली थी तो आरोपी की कमर में पीछे एक लोहे का छुरा जिसकी लंबाई 13 इंच थी, मिला था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम बल्लू उर्फ बालकृष्ण बताया था। आरोपी के पास छुरा रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। आरोपी को मौके पर ही गिरफतार कर उसने गिरफतारी पंचनामा एवं आरोपी से मौके पर छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध अप०क्0 449 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

था।

- 3. उक्तानुसार आरोपी के विरूद्ध द्वारा आरोप विरचित किये गये एवं आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :--
- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.12.15 को 12:30 बजे कैंची पुलिया मौ रोड गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का छुरा वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने अधिपत्य में रखा ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी धीरसिंह आ०सा०1, रहीम खां आ०सा०2, प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा आ०सा०3 एवं प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ०सा०4 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में साक्षी सिद्धार ब०सा०1 को परीक्षित कराया गया है।

[निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण] विचारणीय प्रश्न क0-1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में जप्तीकर्ता प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 26.12.15 को उसे मुखबिर द्वारा करीबन 12 बजे सूचना मिली थी कि कैंची वाली पुलिया मौ रोड पर एक व्यक्ति छुरी लिए वारदात करने की नीयत से खड़ा है। वह प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा था तो वहां एक व्यक्ति उसे देखकर भागने लगा था उन दोनों ने उस व्यक्ति को घेरकर पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम बल्लू उर्फ बालकृष्ण बताया था। तलाशी लिए जाने पर आरोपी की कमर में पीछे एक लोहे का छुरा खुरसे मिला था। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। उसने आरोपी से मौके पर ही गवाहों के समक्ष एक लोहे का छुरा जिसके फल की लंबाई 13 इंच थी को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनमा। प्र0पी—1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनमा। प्र0पी—1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह आरोपी को मय माल थाने लेकर आया था। रोजनामचा वापिसी सान्हा प्र0पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षार हैं। थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए—1 की छुरी वही छुरी है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त की थी।
- 8. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह थाने से करीब 11 बजे निकला था उसके साथ प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा थे। मुखबिर से उसे सूचना 12 बजे मिली थी मौके पर पहुंचने में उसे दस मिनट लगे थे। जब वह थाने से इलाका भ्रमण के लिए निकले थे तो रवानगी डालकर निकले होंगें। रवानगी सान्हा प्रकरण में पेश नहीं है। जब उसने आरोपी को गिरफतार किया था उस समय प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा एवं दो साक्षी धीरसिंह एवं रहमान खां मौके पर थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए—1 पर थाने की सील नहीं लगी है एवं प्र0पी—2 का नमूना सील कॉलम नं0 13 खाली है।
- 9. साक्षी धीरसिंह अ०सा०१ ने भी जप्तीकर्ता प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपी से छुरी जप्त होने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त

साक्षी ने गिरफतारी पंचनमा प्र0पी—1 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी—2 के क्रमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 10. साक्षी रहीम खां अ०सा०२ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घ । टना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र09पी—1 व गिरतारी पंचनामा प्र0पी—2 के कमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने घटना दिनांक को उसके सामने आरोपी को पकड़ा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से छुरी जप्त की थी।
- 11. प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ०सा०४ ने विवेचना को प्रमाणित करते हुए व्यक्त किया है कि विवेचना के दौरान उसने साक्षी धीरसिंह व रहीम खां के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए थे।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. बचाव पक्ष की ओर से उक्त संबंध में बचाव साक्षी सिद्धार ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी बल्लू से कोई छुरी जप्त नहीं हुई थी साक्षी धीरसिंह ने रंजिशन आरोपी के विरुद्ध झूटा केस लगवा दिया है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ ने अपने कथन में घ । टना दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कैंची की पुलिया मौ रोड जाना एवं आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है। परन्तु उक्त संबंध में रोजनामचा रवानगी सान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस कर्मचारी / अधिकारी थाने से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस अधिकारी / कर्मचारी के थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई रवानगी सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है ना ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है।
- 15. प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा ने अपने कथन में आरोपी से गवाहों के समक्ष लोहे का छुरा जप्त करना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि जप्तशुदा छुरा के फल की लंबाई 13 इंच थी जबिक जप्ती पंचनामा प्र0पी—2 में लोहे के छुरा की कुल लंबाई 13 इंच नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ0सा03 के कथन प्र0पी—2 के जप्ती पंचनामे से पुष्ट नहीं रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 16. प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उन्हें 12 बजे आरोपी के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी एवं वह 12:10 बजे घटनास्थल पर पहुंच गया था परन्तु गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—1 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी—2 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त पंचनामों के अनुसार आरोपी से जप्ती की कार्यवाही 12:30 बजे की गयी थी एवं आरोपी को 12:40 बजे गिरफतार किया गया था। प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ ने 12:10 बजे घटनास्थल पर पहुंच जाना बताया है एवं उसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 12:10 से 12:30 तक उसके द्वारा मौके पर क्या कार्यवाही की गयी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने मौके पर आरोपी से छुरी जप्त की थी एवं आरोपी को गिरफतार किया था इसके बाद वह मय माल आरोपी को थाना वापिस लेकर आया था। प्र0पी—1 एवं प्र0पी—2 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त पंचनामों के अनुसार आरोपी से जप्ती एवं

गिरफतारी की कार्यवाही 12:40 बजे तक पूर्ण कर ली गयी थी परन्तु प्र0पी—3 के रोजनामचा वापिसी सान्हा में वापिसी का समय 16:00 बजे अंकित है एवं प्र0पी—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय 16:58 बजे अंकित है। पुलिस द्वारा 12:40 बजे से 16:00 बजे तक क्या कार्यवाही की गयी आरोपी एवं जप्तशुदा छुरा को कहां रखा गया उक्त संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

- 17. प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ0सा03 ने अपने कथन में प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा के साथ मौके पर जाना एवं आरोपी को पकड़ना तथा आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है परन्तु यह बात स्वयं प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 द्वारा नहीं बतायी गयी है। प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 का ऐसा कहना नहीं है कि वह श्यामकरन शर्मा के साथ मौके पर गया था एवं उसके सामने आरोपी से छुरी जप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ0सा03 के कथन प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 18. जहां तक साक्षी धीरसिंह अ०सा०1 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी धीरसिंह ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी से उसके सामने 13इंच लंबी लोहे की छुरी जप्त करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि वह मौ रोड पर किस जगह खड़ा था उसे यह भी ध्यान नहीं है कि पुलिस गोहद थाने की ओर से आकर किस तरफ चली गयी थी उसे यह भी ध्यान नहीं है कि पुलिस ने लिखापढ़ी कहां की थी उसे यह भी पता नहीं है कि उसके अलावा प्र0पी—1 की लिखापढ़ी पर किस—किस व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये थे। उसने दीवानजी के कहने पर जप्ती एवं गिरफतारी पंचनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी को कहां से पकड़ा गया था। इस प्रकार साक्षी धीरसिंह अ०सा०1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी से 13 इंच लंबी छुरी जप्त करना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा है कि आरोपी को किस जगह से गिरफतार किया गया था आरोपी से किस जगह से छुरी जप्त की गयी थी। उक्त साक्षी को यह भी जानकारी नहीं है कि प्र0पी—1 एवं प्र0पी—2 पर उसके अलावा किस—किस व्यक्ति के हस्ताक्षर हुए थे उक्त साक्षी का यहां तक कहना है कि उसने दीवानजी के कहने पर जप्ती एवं गिरफतारी पंचनामे पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिन्दुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का कथन विश्वास योग्य नहीं है।
- 19. प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ ने अपने कथन में आरोपी से लोहे का छुरा जप्त करना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरा के पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरा के मौके पर सीलबंद किए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं दिया गया है। प्र0पी—2 के जप्ती पंचनामे में भी जप्तशुदा छुरा के सीलबंद किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जप्ती पंचनामा प्र0पी—2 के कॉलम नंबर 13 में नमूना सील भी अंकित नहीं है यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 20. प्र0आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ ने घटना दिनांक को प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा के साथ मौके पर जाना एवं साक्षी धीरिसंह तथा रहीम खां के समक्ष आरोपी से लोहे का छुरा जप्त करना बताया है परन्तु प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ०सा०४ एवं रहीम खां अ०सा०२ द्वारा श्यामकरन शर्मा अ०सा०३ के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी धीरिसंह अ०सा०१ के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। साक्षी रहीम खां अ०सा०२ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। जप्तशुदा छुरा को मौके पर सीलबंद भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 21. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है

तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

- 22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 26.12.15 को 12:30 बजे कैंची की पुलिया मौ रोड गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी बल्लू उर्फ बालकृष्ण को संदेह का लाम देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)बी के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 23. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 24. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का छुरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोडतोडकर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें। स्थान:— गोहद,

दिनांक:-31.07.17 निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / —
') (प्रतिष्ठा अवस्थी)
म श्रेणी न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(मоप्र0) गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)